अंत्योदया–सरल

डिजिटल हरियाणा

सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता
गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (योजना)

पात्रताः

- आवेदक हरियाणा का स्थाई निवासी हो।
- उसका नाम बी.पी.एल. सूची के तहत नाम पंजीकृत हों व निराश्रित होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच हो ।
- पति/पत्नी दोनो लाभ के पात्र है यदि वे इसके लिए पात्र है।
- जीवनयापन के लिए कोई अन्य साधन ना हो।
- किसी अन्य साधन से कोई सरकारी सहायता/पैंशन न प्राप्त कर रहा हो।
- आवेदक जीविकोपार्जक की मृत्यु की तिथि से एक वर्ष के अन्दर–अन्दर आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- आवेदन परिवार के मुखिया द्वारा किया जाना चाहिए और यह लाभ मृत्क के परिवार में ऐसे जीवित सदस्यों को दिया जाएगा जिन्हे जॉच के बाद परिवार का मुखिया माना जाएगा। परिवार शब्द का अर्थ है पति–पत्नि नाबालिग बच्चे अविवाहित बेटियां और आश्रित माता–पिता अगर किसी महिला के माता–पिता भी उसकी बेटी और दमाद के घर में रह रहे है तो वह भी परिवार का हिस्सा माना जाएगा।

अपवादः **निम्नलिखित व्यक्ति पैंशन के पात्र नही होगेंः–**

क श्रेणी–I एवं II अधिकारियों/कर्मचारियों एंव उनके समकक्ष वेतन प्राप्त करने वालों के माता–पिता।

ख आयकरदाता के माता–पिता।

ग आवेदक/उसके बच्चे, भूतपूर्व/वर्तमान सांसद/विधायक/बोर्ड/बैंक अथवा निगमों के अध्यक्ष।

घ डाक्टर, वकील, चर्टिड अकाउंटैट, आयकर परामर्शी अभियन्ता या वास्तुक, ठेकेदार इत्यादि के माता–पिता।

अंत्योदया–सरल

डिजिटल हरियाणा

उपलब्ध लाभः

1. रू0 20000/–(एक मुस्त)।

आवश्यक दस्तावेजः

1 मतदाता पहचान–पत्र।
2 राशन कार्ड।
3 मृतक का हरियाणा निवास प्रमाण–पत्र।
4 मृत्यु प्रमाण–पत्र।
5 आवेदक का मोबाइल नम्बर।
6 आवेदक की दो पासपोर्ट साईज फोटो।
7 आयु के प्रमाण हेतू स्कूल प्रमाण पत्र
8 अन्य दस्तावेज

- पहचान/नागरिकता प्रमाणः आधार कार्ड
- आवेदक का बचत बैंक खाता विवरण पास बुक की फोटी कॉपी सहित।
- आवेदक का परिवार पहचान पत्र।

सेवा के लिए फीसें:

सरकारी प्रभार	केन्द्र सेवा प्रभार	अटल सेवा केन्द्र सेवा प्रभार
कोई फीस नहीं	रू0 30/–	रू0 30/–

सेवा का अधिकार समय सीमाः 90 दिन।